Factual Report in the matter of Bhagirath Meena V/s State of Rajasthan &Ors. Original Application No. 132/2023 (CZ)Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal

Background

In the case filed by Sh. Bhagirath Meena Vs State of Rajasthan & Ors. before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone, Bhopal the applicant has alleged thatthe stone crusher M/s Laxmi Stone Crusher is located at the main road of village and is at the distance of 550-600 meters from the village abadi and school which is in contravention of the Land Conversion Rules and precautionary principles have not been taken into consideration before issuing the conversion order by the competent authority. Applicant further raises the issue of non-compliances of environmental rules as the consequence of operations of the aforementioned stone crusher.

Order

Hon'ble NGT, Principal Bench in its order dated 10/10/2023 has directed:

"...7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

i. One representative of the District Collector, Alwar, Rajasthan.

ii. One representative from the Dy. Conservator of Forest, Forest Department, Rajasthan.

iii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.

8. The committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks...."

Accordingly, District Collector Alwar, vide letter dated 23/10/2023 has nominated Sub-Divisional Magistrate,Rajgarhas representative on his behalf. Copy of letter has been enclosed as**Annexure-1**.

And whereas, Regional Forest Officer, Alwar was nominated on the behalf of Dy. Conservator of Forest, Alwarvide letter dated 17/10/2023. Copy of letter has been enclosed as **Anneuxre-2.**

And whereas, Assistant Environment Engineer, RSPCB, Alwar was deputed as the representative from State Pollution Control Board vide letter dated 13/10/2023. Copy of letter has been enclosed as **Anneuxre-3.**

Thereafter, SDM, Rajgarh, vide letter dated 09/11/2023 and subsequently vide letter dated 16/11/2023, decided that the joint visit will be conducted on 18/11/2023. Copies of letters have been enclosed combinedly as **Anneuxre-4.**

Joint Committee Visit

In accordance with the aforementioned order and letters, following officials visited the site on 18/11/2023:

i. Smt. Jugita Meena, Tehsildar, Rajgarh, Alwar (Representative of District Collector, Alwar).
ii. Sh. Ajay Prajapat, Regional Forest Officer, DCF Office, Alwar.
iii. Sh. Ravi Tiwari, Assistant Environment Engineer, Regional Office, RSPCB, Alwar.

Observations

During field visit and on perusal of records, following observations were made:-

i. The unit is a stone crusher in the name of M/s Laxmi Stone Crusher located at Khasra No. 543, Village-Joneta, Tehsil-Ramgarh, District-Alwar.
ii. All the machineries including conveyors, as mentioned above, were found covered from tin shed and also water sprinklers were provided at the suitable points e.g. inlet and outlet of primary crusher, secondary crusher and vibratory screen.
iii. Arrangements have been made by the unit for reducing the dropping height of the material from the conveyors carrying material of size less than 05 mm and also wind breaking wall have been provided between the conveyors to act as wind barriers in order to control fugitive emissions.
iv. Unit has provided about12 fully grown plants and about 30 medium grown plants around the periphery of the premises, which is inadequate in accordance with the plantation norms of 33% of the total plot area. However, unit has planted approx. 15-20 new saplings at the entrance of the crusher premises.
v. The water requirement in the unit is being met through one bore-well. Unit has obtained certificate of exemption for ground water withdrawal from Central Ground Water Authority (CGWA) for 08 KLD, which is valid from 23/04/2021.
vi. Unit has constructed a boundary wall, of height approx. 5-6 feet, around the crusher premises.
vii. Unit was found non-operative during the site visit as the Consent to Operate had been revoked and direction for closure of the industry was issued by RSPCB vide letter dated 31/10/2023 based on the non-compliances observed during earlier inspection dated 25/10/2023.
viii. In compliance of the aforesaid direction issued by RSPCB, electricity connection of the unit was disconnected by the JVVNL on dated 09/11/2023.

ix. During site visit, Regional Forest Officer measured the distance of the crusher premises from the nearest forest block (i.e. Bhigota, Range-Rajgarh, Alwar) and the distance from the forest block was found to be about 259 meters. Report enclosed as **Annexure-5**.

x. As per Tehsildar, Rajgarh letter no. 2080 dated 09/11/2022, point no. 01, stone crusher is located at a distance of 550-600 meters from the residential area of Joneta village. Copy of Tehsildar letterdated 09/11/2022 is enclosed as **Annexure-6**.

xi. As per the conversion order dated 07/07/2011, issued by Sub Divisional Officer, converted area is 1925.68 sqm and whereas, the stone crusher is installed and is being operated in area measuring approx. 3-4 Bigha which is exceeding the converted area and therefore is in violation of Rajasthan Land-Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purpose in rural area) Rules, 2016.

xii. A notice with the direction to not operate the crusher was pasted at the crusher by Tehsildar during site visit and the proponent was directed to not operate the crusher till further orders.

xiii. Unit has made efforts for providing air pollution control measures and plantation in and around the crusher premises.

xiv. Photographs, with GPS co-ordinates, taken during site visit are enclosed as **Annexure-7.**

<u>Action Taken</u>

i. Regional Office, RSPCB, Alwar vide its letter dated 31/10/2023 revoked consent to operate and issued direction for closure of the industry for the non-compliances observed during inspection dated 25/10/2023. Copy of the letter dated 31/10/2023 enclosed as **Annexure-8**.

ii. SDM, Rajgarh vide its letters dated 31/10/2022and23/12/2022 issued notice to the unit for non-compliances of the conditions imposed in the conversion order. Thereafter, again on date 18/11/2023 issued notice to the proponent with the direction to not operate the crusher till further orders. Copy of the notices dated 31/10/2022, 23/12/2022 and 18/11/2023 enclosed combinedly as **Annexure-9.**

iii. For the violation of stone crusher being operated in the area exceeding the conversion area, Sub Divisional Magistrate, Rajgarh issued notice under section 177 of Rajasthan Tenancy Act, 1955 to the unit vide letter dated 07/08/2023 and the matter is under trial in the court of SDM, Rajgrah. Copy of details of the matter with notice dated 07/08/2023 is enclosed as **Annexure-10**.

iv. JVVNL disconnected the electricity of the unit on dated 09/11/2023 in compliance of the RSPCB direction dated 31/10/2023. Copy of electricity disconnection letter 09/11/2023 enclosed as **Annexure-11**.

Enclosures

i. Copy of Letter dated 23/10/2023, issued by District Collector Alwar (Annexure-1),
ii. Copy of Regional Forest Officer,Alwar nomination letter dated 17/10/2023 (Anneuxre-2),
iii. Copy of Assistant Environment Engineer, RSPCB, Alwar nomination letter dated 13/10/2023 (Anneuxre-3),
iv. Copies of SDM, Rajgarh letters dated 09/11/2023 and 16/11/2023 (Annexure-4),
v. Distance measurement report from nearest forest block (Annexure-5),
vi. Copy of Tehsildar letter dated 09/11/2022 regarding distance of stone crusher from (Annexure-6),
vii. Photographs, with GPS co-ordinates, taken during site visit (Annexure-7),
viii. Copy of RSPCB letter dated 31/10/2023 (Annexure-8),
ix. Copies of the notices issued by SDM, Rajgarh vide letters dated 31/10/2022, 23/12/2022 and 18/11/2023 (Annexure-9),
x. Copy of details of the court matter in SDM, Rajgarh court, with the notice dated 07/08/2023 (Annexure-10),
xi. Electricity disconnection letter dated 09/11/2023 by JVVNL (Annexure-11).

(Tehsildar-Rajgarh, District-Alwar)	(Assistant Environment Engineer, RSPCB, Alwar)	(Regional Forest Officer, DCF Office, Alwar)

(राजस्थान सरकार)

कार्यालय जिला कलक्टर अलवर जिला अलवर

क्रमांक–प. 12–1( )(एनजीटी)/राज०/23/11451 दिनांकः–23 /10/2023

–: आदेश :–

माननीय एनजीटी, सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल में विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 132/2023(सीजेड) बउनवान भागीरथ मीना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल को नोडल एजेंसी एवं जिला कलक्टर, अलवर, उप वन संरक्षक वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक–एक प्रतिनिधि की संयुक्त समिति का गठन किया जाकर, समिति को प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण कर एवं की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट छः सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपर्युक्त आदेश दिनांक 10.10.2023 में प्रदत्त निर्देशो के कम में जिला कलक्टर, अलवर की ओर से उपखण्ड अधिकारी, राजगढ को प्रतिनिधि घोषित कर निर्देशित किया जाता है कि माननीय एनजीटी, सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल के आदेश दिनांक 10.10.2023 में प्रदत्त निर्देशो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर,
अलवर

क्रमांक–राजस्व/2023/11452-56 दिनांकः–23 /10/2023

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (राज०)
2. उप वन संरक्षक, अलवर/बाध परियोजना सरिस्का।
3. उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर।
5. श्री रवि तिवाडी सहायक अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर।

जिला कलक्टर,
अलवर

_\SATISH JI\Desktop\Land-allotment-Budget\NGT-Matter-Joneta-Rajgarh.docx

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार
वन विभाग
कार्यालय उप वन संरक्षक, अलवर
आज़ादी का अमृत महोत्सव
ज्योतिबाफुले सर्किल के पास, नयाबास, अलवर (राज0) – 301001

क्रमांक:–एफ 10( )2023 / विधि / उवस / 259 दिनांक : 17/10/23

निमित्त:–

Rajasthan State Pollulion Control Board
D-Block, Ambedker Nagar,
Alwar-301001

SUBJECT- Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal order dated 10/10/2023 in the metter of Bhagirath Meena v/s State of Rajasthan Ors Original Application No. 132/2023 (CZ).

REFERENCE-RPCB/RO/Alwar/G-369/2863-2866 Date 13/10/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि माननीय राष्टीय हरितप्राधिकरण Original Application No. 132/2023 (CZ) भागिरथ मीणा बनाम राज0 सरकार एवं अन्य में दिये आदेश दिनाकं 10 / 10 / 2023 की पालना में सयुक्त कमेटी में उप वन संरक्षक अलवर के प्रतिनिधि के रूप में श्री अजय प्रजापत क्षेत्रिय द्वितिय कार्यलय हाजा मो0 (9521612880) नामित किया जाता है।

अतः उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु श्री अजय प्रजापत क्षेत्रिय द्वितिय से संपर्क करें।

भवदीय

(ए0 के0 श्रीवास्तव)
उप वन संरक्षक,
अलवर

क्रमांक:–एफ 10(03)2022 / न्याय / उवस / 260-61 दिनांक : 17/10/23

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1 श्रीमान् जिला कलैक्टर अलवर
2 श्री अजय प्रजापत क्षेत्रिय द्वितिय कार्यलय हाजा

उप वन संरक्षक,
अलवर

Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
D-Block, Ambedkar Nagar, Alwar-301001
E mail- ro.alwar@gmail.com Website www.environment.rajasthan.gov.in

No. RPCB/RO/Alwar/G-369 / 2863-2866 Date:- 13/10/2023

District Collector,
Alwar.

NGT Matter
Most Urgent

Subject: Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal order dated 10/10/2023 in the matter of **Bhagirath Meena V/s State of Rajasthan & Ors. Original Application No. 132/2023 (CZ)**.

Reference: 1.Hon'ble NGT order dated 10/10/2023.

Sir,

This is in reference to Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi order dated 10/10/2023 in the matter of Bhagirath Meena V/s State of Rajasthan & Ors. Original Application No. 132/2023 (CZ). The Hon'ble NGT vide referred order has made the State Board as the Nodal Agency and has constituted a joint Committee consisting of:

1. One representative of District Collector, Alwar,
2. One representative from Dy. Conservator of Forest, Forest Department and
3. One representative from Rajasthan State Pollution Control Board.

Further, as per the said order the committee need to visit the site and submit the factual report and action taken report within six weeks.

Therefore, it is requested vide this letter to nominate one representative of District Collector, Alwar urgently so that necessary action may be taken in order to comply with the Hon'ble NGT directions. The copy of said order is enclosed for information and necessary action. It is also pertinent to mention here that the next date of hearing is scheduled on 06/12/2023.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Deependra Jharwal)
SEE and Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, RSPCB, Jaipur for information.
2. Deputy Conservator of Forest, Forest Department, Alwar, Rajasthan for information and with the request to nominate one representative from Deputy Conservator of Forest, Forest Department, Alwar, Rajasthan urgently so that necessary action may be taken in order to comply with the Hon'ble NGT directions.
3. Sh. Ravi Tiwari, AEE, RSPCB, Alwar, Mob. No. 9718537173, hereby deputed as representative from RSPCB, to co-ordinate with the other team members and Advocate nominated by Head Office, RSPCB.

SEE and Regional Officer

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर)

क्रमांक / राजस्व / एनजीटी / 2023 / 2716 दिनांकः– 16.11.2023

—: आदेश :—

माननीय एनजीटी, सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल मे विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 132 / 2023 (सीजेड) बउनवान भागीरथ मीना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को नोडल एजेंसी एवं जिला कलक्टर महोदय अलवर , उप वन संरक्षक वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक–एक प्रतिनिधि की संयुक्त समिति का गठन किया जाकर समिति को प्रश्नगत क्रेशर यूनिट (स्थल) का निरीक्षण कर एवं की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट 06 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर द्वारा पत्रांक / 11451 दिनांक 23.10.23 से अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

अतः माननीय एनजीटी के उक्त आदेश की अनुपालना मे समिति द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण के लिए दिनांक 17.11.2023 नियत की गई थी। परन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता चुनाव कार्य मे व्यस्त होने के कारण पूर्व नियत दिनांक 17.11.2023 के स्थान पर 18.11.2023 नियत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

क्रमांक / राजस्व / एनजीटी / 2023 / 2717–25 दिनांकः– 16.11.2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय प्रथम / द्वितीय जिला अलवर।

प्रतिलिपिः– आप स्वयं / आपके प्रतिनिधि के उपस्थित होने के संबंध मे प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक अलवर।
2. सहायक वन संरक्षक वन विभाग अलवर।
3. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
5. अधिशाषी अभियंता, JVVNL राजगढ जिला अलवर।
6. श्री रवि तिवाडी AEE, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
7. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर)

क्रमांक / राजस्व / एनजीटी / 2023 / 2705 दिनांकः— 9 .11.2023

—: आदेश :—

माननीय एनजीटी, सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल मे विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 132 / 2023 (सीजेड) बउनवान भागीरथ मीना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को नोडल एजेंसी एवं जिला कलक्टर महोदय अलवर , उप वन संरक्षक वन विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक—एक प्रतिनिधि की संयुक्त समिति का गठन किया जाकर समिति को प्रश्नगत क्रेशर यूनिट (स्थल) का निरीक्षण कर एवं की गई कार्यवाही की तथ्यात्मक रिपोर्ट 06 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण मे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर द्वारा पत्रांक / 11451 दिनांक 23.10.23 से अधोहस्ताक्षकर्ता को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

अतः माननीय एनजीटी के उक्त आदेश की अनुपालना मे समिति द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण के लिए दिनांक 17.11.2023 नियत की गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

क्रमांक / राजस्व / एनजीटी / 2023 / 2706-2714 दिनांकः— 9- .11.2023

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय प्रथम / द्वितीय जिला अलवर।

प्रतिलिपिः— आप स्वयं / आपके प्रतिनिधि के उपस्थित होने के संबंध मे प्रेषित है।

1. उप वन संरक्षक अलवर।
2. सहायक वन संरक्षक वन विभाग अलवर।
3. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
5. अधिशाषी अभियंता, JVVNL राजगढ जिला अलवर।
6. श्री रवि तिवाडी AEE, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
7. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

मौका पंचनामा

दिनांक 18-11-2023

आज दिनांक 18-11-2023 को माननीय एनजीटी सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल मे विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 132/2023 बउनवान भागीरथ मीना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य मे पारित आदेश की अनुपालना मे व साथ श्रीमान उपवन संरक्षक, अलवर के आदेशों व कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर) के आदेश क्रमांक : राजस्व/एनजीटी/2023/2717-25 दिनांक 16.11.2023 की अनुपालना मे श्री लक्ष्मी स्टोन क्रेसर से वन भूमि (वैधानिक स्थिति - संरक्षित वन, वनखण्ड - बीघोता, रेंज - राजगढ़, अलवर) के पिलर संख्या - 1 से दूरी 259 मीटर मापी गई।

मौका पंचनामा सभी को पढ़ाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

[signature]
Bhupesh Meena
[signature]

[signature]
वनरक्षक
[illegible] केन्द्रीय

[signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
कार्यालय उप वन संरक्षक,
अलवर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर (राज0)

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 2080

दिनांकः– 9–11.22

श्रीमान उपखण्ड़ अधिकारी महोदय,
राजगढ़ (अलवर)

L.R.
11/11/2022

विषयः–हाल आराजी खसरा नं0 543 ग्राम जोनेटा में संचालित अवैध स्टोन क्रेशर को तुरन्त बन्द कराने के क्रम में समस्त ग्रामवासियान ग्राम जोनेटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक / राजस्व / क्रेशर / 2022 / 2015 दिनांक 31.10.2022

महोदय,

प्रांसागिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि हाल आराजी खसरा नं0 543 ग्राम जोनेटा में संचालित अवैध स्टोन क्रेशर को तुरन्त बन्द कराने के लिए समस्त ग्रामवासियान ग्राम जोनेटा द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2022 के संबंध में बिन्दुवार जांच रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

1. राजस्थान भू–राजस्व(ग्राभीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन), नियम 2007 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.01.2011 के अनुसार संपरिवर्तित रकबा 1925.68 वर्गमीटर है जबकी स्टोन क्रेशर लगभग 3 से 4 बीघा में स्थापित है। श्रीमानजी स्टोन क्रेशर की ग्राम जोनेटा की मुख्य आबादी की बाहरी सीमा से दूरी लगभग 550–600 मीटर ही है।
2. स्टोन क्रेशर के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, अलवर द्वारा जारी CTO की वैधता अवधि 01.04.2020 से 31.03.2025 है (प्रति संलग्न)। CTO की शर्तो की आंशिक पालना की जा रही है। स्टोन क्रेशर के कुल रकबे के 33 प्रतिशत क्षेत्रफल पर पौधारोपण नही किया गया है।
3. निरीक्षण के समय स्टोन क्रेशर यूनिट बंद पाई गई। उपस्थितान ने बताया कि यूनिट पिछले 7–8 दिनों से बंद है।

श्रीमानजी तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

7156
11/11/22

तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

Telephone: - 01464-220054 Gen. Letters(Rc) E-mail ID- tehrajgrah.alw@gmail.com

Annexure-7

Fig 01: Officials visited the stone crusher site.

Fig 02: Covered primary crusher (01 No.) and secondary crushers (02 Nos.).

Fig 03: Covered material transfer conveyors.

Fig 04: Covered delivery conveyors.

Fig 05: Arrangements at the falling point of conveyor to reduce the dropping height of material (for size less than 05 mm).

Fig 06: Plantation near the right-side boundary of the crusher premises.

Fig 07: Plantation near the office in the crusher premises.

Fig 08: Boundary wall around the crusher premises, with plantation of medium grown trees.

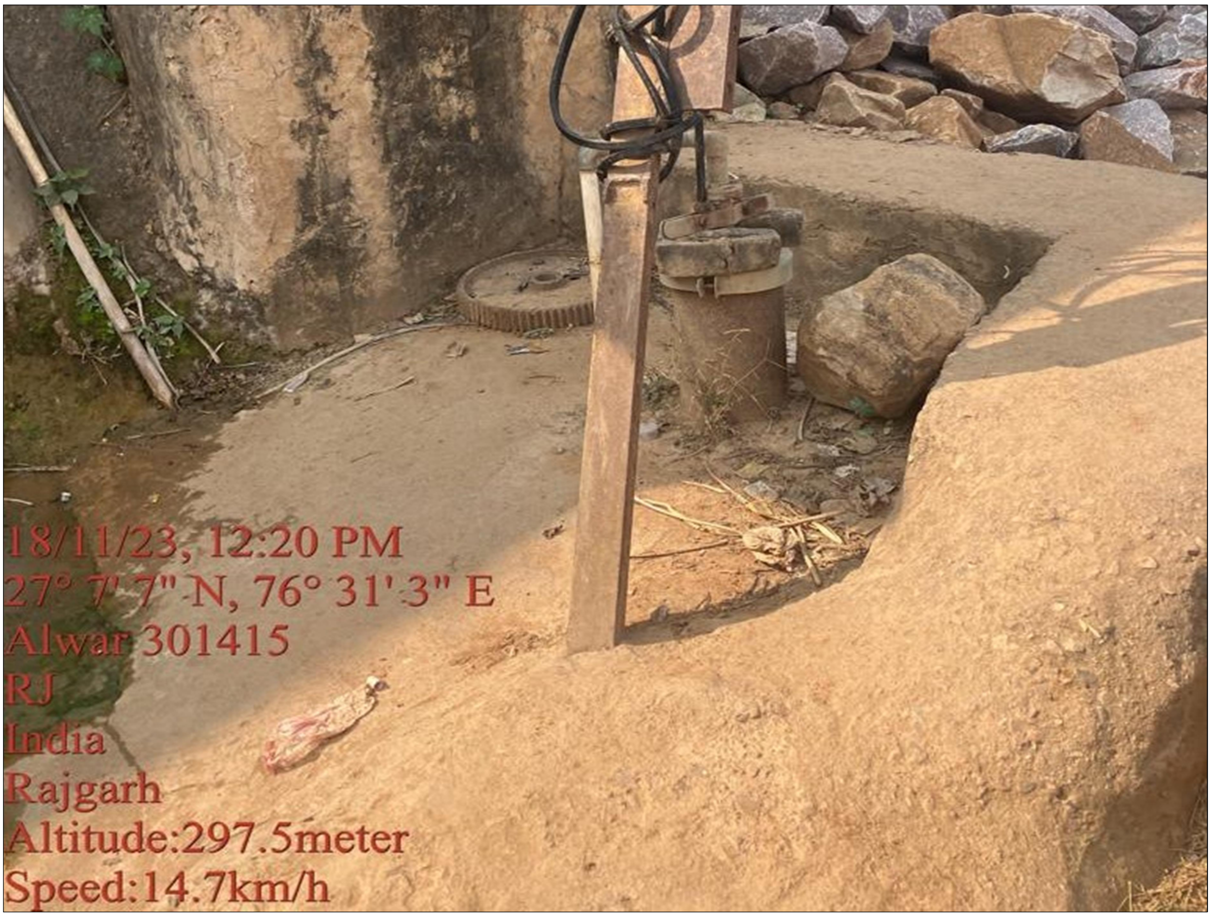

Fig 09: Bore-well (01 No.) in the unit.

Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
D-Block, Ambedkar Nagar, Alwar-301001
E mail- ro.alwar@gmail.com **Website** www.environment.rajasthan.gov.in

*F. No.RPCB/RO/Alwar/183/*3213 - 3217 *Date:* 31/10/2023

Registered Post

M/s Laxmi Stone Crusher (Unit ID – 26421)
Khasra no. 542, 543, 544 & 546, Village- Joneta,
Tehsil- Rajgarh, District- Alwar,
Rajasthan – 301 408.

Sub: -Revocation of Consent to Operate issued under section 21(4) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Directions under section 31(A) of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, in respect of your industry.

Ref: - 1. Consent to Operate issued to the unit vide letter dated 31/01/2020.
2. Inspection of your unit conducted on dated 03/07/2023 & 25/10/2023.
3. Show cause notice for intended revocation and intended direction for closure issued to the unit vide letter no. RPCB/ RO Alwar/2023-24/672/1555 dated 14/07/2023.

1. This is without prejudice to the right of the Rajasthan State Pollution Control Board (hereinafter called as the Board') to initiate proceeding under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter called as 'the Water Act') and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (hereinafter called as 'the Air Act') for violation of various provisions of the Acts here-in-after shown.
2. Whereas, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 came in to force in whole of the State of Rajasthan w.e.f. 16/05/1981.
3. And whereas, the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 came into force in the whole of the State of Rajasthan with effect from 23/03/1974.
4. And whereas, Air Act were enacted to provide for the prevention, control& abatement of air pollution and the Water Act to provide for the prevention and control of water pollution and for the maintaining and restoring the wholesomeness of water.
5. And whereas, keeping this in view, the Board has been conferred power to take such steps as are necessary for the prevention, control & abatement of air and water pollution.
6. And whereas M/s Laxmi Stone Crusher (Unit ID – 26421), (herein after referred to as the "Industry") is engaged in operating a plant/industry at Khasra no. 542, 543, 544 & 546, Village- Joneta, Tehsil- Rajgarh, District- Alwar and during operation industry discharges polluted air.
7. And whereas Consent to Operate under Air Act, 1981 was granted vide letter dated 31/01/2020 under reference which is valid up to 31/03/2025 with the specific conditions as imposed therein.
8. And whereas the industry was inspected by the officials of the Board on 03/07/2023 and during the course of inspections non-compliances observed in the industry.
9. And whereas, a show cause notice for intended revocation of Consent to Operate and intended directions for closure of the industry under Section 31(A) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 was issued vide State Board letter dated 14/07/2023 for the non compliances observed during the inspection.
10. And whereas, unit has failed to submit any time-bound satisfactory reply to the State Board.

Regional Office
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
D-Block, Ambedkar Nagar, Alwar-301001
E mail- ro.alwar@gmail.com Website www.environment.rajasthan.gov.in

11. And whereas, unit was again inspected on 25/10/2023 and it was found that unit has failed to provide adequate air pollution control measures as per RSPCB guidelines for abatement and control of pollution in Stone Crusher Industry dated 05/06/2018 and as per Environment Protection Act, 1986.
12. And whereas, the State Board may, in exercise of the powers conferred upon it under the provisions of Section 33A of Water Act & under Section 31A of Air Act, 1981 and in performance of its functions under the said Acts, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions which includes the power to direct:-
    (a) The closure, prohibition or regulation of any industry, operation or process or
    (b) Stoppage or regulation of the supply of electricity or water or any other service.

Therefore, the State Board hereby revokes the Consent to Operate granted vide letter dated 31/01/2020 under the provisions of Section 21/22 of the Air Act, 1981.

Further, the State Board, in exercise of the powers conferred upon it, under the provision of under the provisions of section 31 A of the Air Act in performance of functions under the Act, hereby directs you to, forthwith, close down your industrial plant, and further puts you to notice that failure in making compliance of these directions issued by the State Board is a criminal offence, punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year and six month but which may extend to six years and with a fine.

Yours sincerely,

(Deependra Jharwal)
SEE & Regional Officer

Copy to following for information and necessary action.
1. The Member Secretary, RSPCB, Jaipur.
2. The District Collector, Alwar.
3. The Executive/Assistant Engineer (O&M) Rajgarh, Tehsil-Ramgarh, District-Alwar and submit immediate compliance report to State Board.
4. GIC (Mines & SCMG), RSPCB, Jaipur
5. Master File of Directions

SEE & Regional Officer

Notice

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर)

क्रमांक/राजस्व/विविध/2022/2018-2019 दिनांकः–31–.10.2022

मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर (चुनाई पत्थर)
जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर।
(जरिये तहसीलदार राजगढ)

विषयः– हाल आराजी खसरा नं0 543 ग्राम जोनेटा मे संचालित अवैध स्टोन क्रेशर को तुरन्त बन्द कराने के क्रम मे समस्त ग्रामवासियान ग्राम जोनेटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध मे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर का पत्रांक/राजस्व/विविध/2022/7730 दिनांक 19.10.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0 543 ग्राम जोनेटा मे संचालित स्टोन क्रेशर को तुरन्त बन्द कराने के लिए समस्त ग्रामवासियान ग्राम जोनेटा द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2022 के संबंध मे राजस्थान भू0–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत जारी किये गये औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन ओदश मे स्टोन क्रेशर अनुमति हेतु नियमानुसार आवश्यक साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करे :–

- राजस्थान भू राजस्व अधिनियमो के तहत बनाये गये प्रचलित राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के उप नियम 4(C) मे प्रावधान है कि किसी औधोगिक ईकाई या चूने भट्टे या किसी क्रेशर ईकाई या किसी औधोगिक क्षेत्र के प्रयोजन के लिए गांव की आबादी की बाहरी सीमाओ के 1.5 कि0मी0 के अर्द्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि का संपरिवर्तन अनुज्ञात नही किया जा सकता है।

"Land falling within the radius of 1.5 km of outer limits of abadi of a village for the purpose of an industrial unit or lime kiln or a crusher unit or an Industrial area. "

- मौके पर क्रेशर संचालित है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.04.2022 के अनुसार खसरा नं0 543 मे संचालित क्रेशर **आराजी खसरा नं0 410 गै0मु0 स्कूल** व आराजी खसरा नं0 381 **किस्म गै0मु0आबादी** (ग्राम की मुख्य आबादी) से लगभग **500–600 मीटर की दूरी** पर है जो आबादी की बाहरी सीमा से 1 कि0मी0 के अन्दर स्थापित है। इस प्रकार विधि विरूद्व स्टोन क्रेशर का संचालन जनहित मे उचित नही है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि नोटिस के संबंध मे 07 दिवस मे अपना पक्ष मय साक्ष्य प्रस्तुत करे। आप द्वारा कोई साक्ष्य/जवाब प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाकर नियमानुसार कार्यावाही की जा सकेगी।
संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रति।

(ओम प्रकाश मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

क्रमांक/राजस्व/विविध/2022/2018-2019 दिनांकः–31–.10.2022

प्रतिलिपिः– श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर की सेवा सूचनार्थ सादर प्रेषित।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

address- opposite govt. hospital teshil parisar Rajgrh dist. alwar

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर)

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 2265-2267 दिनांक :– 23-12-22

मैं0 लक्ष्मी स्टोर क्रेशर,
ग्राम जोनेटा ग्राम पंचायत नांथलवाडा
तहसील राजगढ जिला अलवर
(जरिये तहसीलदार राजगढ)

विषय :– ग्राम जोनेटा ग्राम पंचायत नांथलवाडा में क्रेशर युनिट द्वारा **CTO , संपरिवर्तन आदेश एवं क्रेशर संचालन हेतु जारी दिशा निर्देशो के उल्लंधन के संबंध मे।**

संदर्भ :– 1. श्रीमान जिला कलक्टर महो0 अलवर पत्रांक / राजस्व / विविध / 2022 / 7730 दिनांक 19.10.2022 एवं पत्रांक 6361 दिनांक 08.08.2022
2. तहसीलदार राजगढ का पत्रांक / राजस्व / 2022 / 2080 दिनांक 09.11.2022।
3 . आपका पत्र दिनांक 16.11.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके स्टोन क्रेशर के संबंध मे प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ मे जिला कार्यालय से प्राप्त निर्देशो की अनुपालना मे आपको इस कार्यालय के पत्रांक / 2022 / 2018 दिनांक 31.10.2022 द्वारा नोटिस जारी किया गया था एवं इस सबंध मे तहसीलदार राजगढ द्वारा आपकी क्रेशर यूनिट का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 एवं आपके प्रतिउत्तर दिनांक 16.11.2022 के साथ संलग्न दस्तावेज के विश्लेषण उपरान्त आपकी क्रेशर यूनिट द्वारा विभिन्न नियम / अधिनियम / दिशा निर्देशो के पालना संबंध मे विवरण निम्नानुसार है:–

A. क्रेशर युनिट को जारी CTO की शर्तो के उल्लंघन का विवरण निम्न प्रकार है :–

Term No.	Details of Terms & Conditions in CTO	Compliance Status
1	That minium 33% of the area for the stone crusher industry should be covered by plantation and at least two rows of tall trees ofsuitable species should be planted within and along the boundary/fencing of the premises to develop a green belt.	Violated
2	That the industry shall install pollution control measures as.per details giben in Guidelines for abatement of pollution in stone crusher industry issued by the board vide letter no SCMG(gen-3)/RPCB/307 Dated 05/06/2018	Violated
3	That Enire water requirement for the industry shall be meet out through outsource only and industry shall not dig/install any bore well for abstraction of ground water without prior permission from central ground water authority	Violated
4	That the outlet of all primary stone crushers and inlet & outlet of all secondary crushers should be installed inside a reasonably dust tight & rigid housing fitted with self-closing doors or enclosed.	Violated
5	That all vibratory screens shall be totally enclosed in rigid and reasonably dust tight housing. If continment ofdust within the screen house styructure is not satisfactory, then a dust extraction and collection system should be provided. All grizzles shall be enclosed on top and from three sides and sufficient water sprayers shall be installed at their feeding and outlet areas.	Violated

6	That the stone crusher shall maintain boundary wall/fencing around the crusher permises	Violated
7	That water spraying arrangements shall be installed and operated at all strategic locations such as, at the feeding inlet of stone crushers, at transfer points, on surface of all surge piles and stockpiles of blasted rocks or aggregates, all open stockpiles for aggregates of size in excess of 5mm active haul roads inside the works etc.	Violated
8	The approach road to site of stone crusher and active haul roads inside the permises must be paved or hard surfaced.	Violated

B. Guidelines For abatement and control of pollution in stone crushing indurtries Dated 05-06-2018

Term No.	Details of Guidelines	Compliance Status
	1- General	
i)	New stone crusher may be established on a piece of land or khatedari land "duly converted, for the purpose of establishment of stone crushing unit", under relevant provisions of Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural areas) Rules, 2007 and subsequent amendment rules, 2016 or on piece of land allotted by competent authority of State Government for establishment of stone crusher unit.	Violated
	2- Standards	
Suspended partuculate Matter (SPM)	The standards consist of two parts: i) Implementation of the following pollution control measures: a) Dust containment cum suppression system for the equipment. b) Construction of wind breaking walls. c) Construction of the metalled roads within the premises. d) Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises. e) Growing of a green belt along the periphery. ii. Quantitative standards of SPM: The suspended particulate matter measured between 3 meters and 10 meters from any process equipment of a stone crushing unit shall not exceed 600 micrograms per cubic meter.	Violated
3-Plantation and Other Issues		
• The converted piece of land shall be utilized for establishment of stone crusher in such a manner that plantation up to norms of 33% of converted area of land can be carried out leaving sufficient spaces for utilities, office building and keeping peripheral plantation to the extent possible. Similar practice shall be adopted for plantation in case of stone crusher unit established or proposed to be established on mining leases, after demarcation of crusher area within lease. However if area/land is not suitable for plantation purposes, the project proponent will be allowed to carryout plantation on an adjacent area.		Violated
• All existing stone crusher units, not having plantation up to prescribed norms, shall submit a time bound action plan (not more than one year) along with bank guarantee ofRs-15000/-.		Violated

• The copies of consent to establish and other relevant documents, as submitted with consent application, shall be sent to concerned Revenue authority and Department of Mines & Geology through registered post.	**Violated**
• Ground water shall not be abstracted without prior N.O.C. from Central Ground Water Authority.	**Violated**
• The water storage facility must be provided at the stone crusher site and its capacity shall not be less than 3000 liters.	**Violated**
• A Sign Board showing the name, address and capacity of the stone crusher industry should be displayed at the entrance of the site.	**Violated**
• Raw material should be obtained from legal sources only. In case at any stage raw material procured from illegal source is found to be used, the sole responsibility will be of the project proponent.	**Violated**

C. Conversion Order Dated 07-01-2011

Term No.	Details of Terms & Conditions in EC	Compliance Status
1	संपरिवर्तन/प्रस्तावित भूमि हेतु उक्त सडक से केवल एक प्रवेश द्वार ही रखा जावेगा।	Violated
2	आधोगिक (स्टोन क्रेशर) से संबंधित तथा आगन्तुको के वाहनो की पार्किंग परिवर्तित भूमि के अन्दर ही किया जाना सुनिश्चितं किया जावेगा।	Violated
3	प्रासंगिक भूमिं पर चारदीवारी का निर्माण एवं चारदीवारी के सहारे वृक्षारोपण करेगा ज़िससे आसपास की कृषि भूमियो पर विपरित प्रभाव नही पडे।	Violated
4	प्रस्तावित भूमि भूमि मे विद्यमान 11/33 के.वी. विद्युत लाईन (यदि कोई हो तो) से सेट बैक के सम्बन्ध मे विद्युत नियम के प्रावधान लागू होगे।	Violated
5	स्टोन क्रेशर कार्य के लिए खनन विभाग द्वार लीजशुदा खनन स्थल से ही कच्चा माल प्राप्त करना होगा। अन्य किसी क्षेत्र का कच्चा माल उपयोग मे नही लिया जावेगा।	Violated
6	प्रस्तावित स्थल के अन्दर की श्रमिको के निवास का निर्माण अस्थाई होगा।	Violated
7	5000 लीटर का पानी का टैंक बैचमिक्स प्लान्ट से निकलने वाली धूल को हवा मे उडने से राकेने के लिए स्प्रिंकलिंग सिस्टम का प्रावधान रखा जावेगा।	Violated
8	प्रार्थी द्वारा एक तिहाई भाग पर वृक्षारोपण किया जावेगा।	Violated
9	प्रार्थी द्वारा जल (प्रदूषण निवरण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं उक्त अधिनियमो के तहत बने नियमो, आदि के सभी प्रावधानो की दृढतापूर्वक पालंना की जावेगी।	Violated
10	प्रार्थी द्वारा स्टाने क्रेशर के संबंध मे खनन विभाग, प्रदूषण विभाग एवं उधोग विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशो व मापदण्डो की पालना सुनिश्चित की जावेगी।	Violated
11	संपरिवर्तन स्थल से निकटतम आबादी की बाहरी सीमा की दूी 1.5 कि0मी से अधिक हो।	Violated
12	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं होने वाले कटाव को रोकने के लिए उचित प्रावधान किये जायेगे।	Violated
13	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण सक्षम ऑथोरिटी से मानचित्र अनुमोदित कराने के बाद की किया जावेगा।	Violated
14	स्टाने क्रेशर से होने वाले अपशिष्ट का निष्पादन प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर से किया जावेगा।	Violated

15	प्रस्तावित भूमि का उपयोग स्टोन क्रेशर के अतिरिक्त अन्य उपयोग मे नही किया जावेगा।	**Violated**

अतः आप उक्त शर्तो की पालना/उल्लघंन के संबंध मे जवाब मय दस्तावेजी साक्ष्य/मौका फाटोग्राफ्स के नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे। जिससे रिपोर्ट श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर को भिजवायी जा सके।

आपके प्रतिउत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर प्रकरण मे संबंधित नियम/अधिनियमो के तहत कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

(ओम प्रकाश मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

क्रमांक/राजस्व/2022/2265-2267

दिनांक :- 23-12-22

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजगढ (अलवर)

क्रमांक / राजस्व / एनजीटी / 2023 / 2726 दिनांकः– 18.11.2023

मै0 लक्ष्मी स्टोन क्रेशर,
ग्राम जोनेटा ग्राम पंचायत नांथलवाडा
तहसील राजगढ जिला अलवर।

विषयः– ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर के हाल खसरा नं0 543 मे संचालित स्टोन क्रेशर को तुरन्त बन्द करवाने के क्रम मे।

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि माननीय एनजीटी, सेन्ट्रल जोन बैंच, भोपाल मे विचाराधीन मूल आवेदन संख्या 132/2023 (CZ) बउनवान भागीरथ मीना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य मे राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर द्वारा ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ मे स्थित क्रेशर यूनिट मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर की **CTO (Consent To Operate)** को पत्रांक/RPCB/RO/Alwar/183/3213-3217 Date 31-10-2023 से Revoke किया जा चुका है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर के पत्रांक/RPCB/RO/ALW/F-16/3277-3279 Date 06-11-2023 की पालना मे जयपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर यूनिट ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ की दिनांक 09.11.2023 को विधुत सप्लाई बंद की जा चुकी है। एवं संपरिवर्तन आदेश व अन्य दिशा निर्देशो/शर्तो के उल्लंघन के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक/राजस्व/2022/2265–67 दिनांक 23.12.22 एवं 2018–19 दिनांक 31.10.2022 से पूर्व मे भी नोटिस जारी किया गये थे।

अतः आज दिनांक को **CTO** प्रभावी नही होने, विधुत सप्लाई बंद होने एवं संपरिवर्तन आदेश की शर्तो की पूर्ण पालना नही किये जाने के कारण आगामी आदेश तक स्टोन क्रेशर निषिद्ध किया जाता है। सूचित रहे।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

क्रमांक / राजस्व / एनजीटी / 2023 / 2727–33 दिनांकः– 18.11.2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. उप वन संरक्षक अलवर।
3. तहसीलदार राजगढ को पालनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
5. अधिशाषी अभियंता, JVVNL राजगढ जिला अलवर।
6. श्री रवि तिवाडी AEE, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अलवर।
7. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला–अलवर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
राजगढ जिला अलवर

Court-1
Issue Notice
13/6/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़
मु० नं०317/23 तारीख प्रवेश 7/8/23
उन्वान .... बनाम ....
तारीख फैसला/तारीख आगामी ....
.... प्रार्थी .... धारा 177 ....

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ जिला अलवर

पटवारी हल्का नाथलवाडा जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ....प्रार्थी

बनाम

ज्ञान चन्द पुत्र रामसहाय जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा जिला दौसा।

............अप्रार्थी / गैरसायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 एंव 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत खातेदारी भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित करवाने एंव अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने बाबत।

महोदय,

गैरसायलान के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 एंव 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला प्रार्थना जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो हाल आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 0.14, 544 रकबा 0.14, 546 रकबा 0.12 है0 में से 0.10 है. एंव 545 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी2 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर में अप्रार्थी / गैरसायल की खातेदारी भूमि में उपयोग–उपभोग न कर ना ही पुख्ता निर्माण कार्य करे जिससे कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन हो।

1. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 0.14, 544 रकबा 0.14, 546 रकबा 0.12 है0 में से 0.10 है, एंव 545 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी2 वाके ग्राम जोनेटा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 0.14, 544 रकबा 0.14, 546 रकबा 0.12 है0 में से 0.10 है, एंव 545 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी2 वाके ग्राम् जोनेटा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है।
3. यह है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2070–2075 में आराजी खसरा 542 रकबा 0.14, 544 रकबा 0.14, 546 रकबा 0.12 है0 में से 0.10 है, एंव 545 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी2 वाके ग्राम जोनेटा के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड जिसकी हाल प्रमाणित जमाबंदी की प्रति संलग्न है।
4. पटवारी हल्का नाथलवाडा से 17.03.2023 को इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के ग्राम जोनेटा के आराजी खसरा 542 रकबा 0.14, 544 रकबा 0.14, 546 रकबा 0.12 है0 में से 0.10 है, एंव 545 रकबा 0.25 है0 में से 0.20 है0 कुल किता 4 रकबा 0.58 है0 किस्म बारानी2 पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ लक्ष्मी स्टोन केसर जोनेटा के आस पास की उक्त भूमि में रोडी, बजरी, धर्मकॉटा बनाकर अप्रार्थी द्वारा अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि को अकृषि संपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। पटवारी हल्का रिपोर्ट संलग्न है।
5. यह है कि राज्य सरकार की ओर से खातेदार को कृषि भूमि में कृषि करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
6. यह है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि का स्वरूप परिवर्तन बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है।
7. यह है कि इस प्रकार से राज्य सरकार की ओर से दिये गये अधिकारों के विपरीत अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग किया है तथा भविष्य में यह भूमि पुनः कृषि योग्य नहीं रह पायेगी।

तहसीलदार
राजगढ जिला अलवर

D.No. 951
2/5/2023

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (अलवर)

8. यह है कि अप्रार्थी के इस कृत्य की देखा–देखी में अन्य खातेदारो द्वारा भी इसी प्रकार कृषि भूमि का स्वरूप खराब किया जा सकता है जिससे भविष्य में कृषि संबंधी उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। जो भविष्य में क्षेत्र के विकास में वाधक सिद्ध होगी।
9. यह है कि प्रार्थना पत्र में सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
10. यह है कि प्रार्थना–पत्र राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क आदि से मुक्त है।

अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 177 एंव 212 राजरथान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि में लक्ष्मी स्टोन क्रेसर जोनेटा के आस पास की उक्त भूमि में रोड़ा, बजरी, धर्मकाटा बनाकर अकृषि व्यवसायिक उपयोग कर रांज्य सरकार की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित एंव अप्रार्थी को अरथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावे। सादर।

दिनांक :–08.05.2023

प्रार्थी

लैण्ड होल्डर तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (अलवर)

11
7/8/23

न्यायालय

[उ]पखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर राजगढ (अलवर)

(हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना संख्याक–4)

पटवारी हल्का नाथ्थलपुरा बनाम रमेश चन्द

[विरू]द्ध

[ना]म रमेश चन्द पुत्र राम सहाय जाति मीना

[नि]वासी लक्ष्मी स्टोन क्रेसर जोनेटा तहसील तहसील राजगढ जिला अलवर

[प्रार्]थी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि

[आ]पको चेतावनी दी जाती है कि आप इस आवेदन के विरूद्व हेतुक दर्शित करने के लिए तारीख 16/8/23 को प्रातः 10:00 बज़े स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया हो उप[स्थित होकर अपने ह]ंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो उक्त आदेश की सुनवाई और निपटारा एक पक्षीय [क]र दिया जायेगा।

[आ]ज दिनांक 7 माह 8 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से [ज]ारी किया गया है।

न्यायाधीश/रीड़र
उपखण्ड अधिकारी राजगढ

फोटो स्टेट सत्य प्रतिलिपि
7-8-23
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (अलवर)

उ पाती डालती

[illegible]

517
14.8.23

दि० 11-8-23

श्रीमान उ पाती रमेश रतुरा को [illegible] [illegible] पेश है। [illegible]
14-8-23

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
[signature]
राजस्व सहायक (आर. ए.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ जिला अलवर

फोटो स्टेट
सत्य प्रतिलिपि
[signature]
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (अलवर)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (प.व.स.)
जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. राजगढ़ (अलवर)

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता
जयपुर डिस्कॉम राजगढ़

D. 5243
17/11/23

विषय :- M/S लक्ष्मी स्टोन क्रेशर खाता सं. 0692/0080 की DC कम्प्लांयस रिपोर्ट भिजवाने बाबत्

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्र क्रमांक 1938 दिनांक 07/11/23.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि Polution Control Board के आदेशानुसार उक्त क्रेशर का कनेक्शन इस कार्यालय द्वारा दिनांक 09/11/2023 को काट दिया है.

उक्त रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु आपको प्रस्तुत है।

Assistant Engineer (O & M)
Jaipur Discom, Rajgarh

O/C

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

DCO No DC210151001557 Dated 08-11-2023

Office AEN_OM_RAJGARH

TEMPORARY/PERMANENT DISCONNECTION ORDER

Consumer's Name LAXMI SOTNE CRUSER-

Address RAJGARH--RAJGARH

Service No. 0 Account No 06920080

To

JEN_TALAB

Please disconnect above consumer temporarily/permanently and report as under.

X.E.N./A.E.N./A.R.O.

Assistant Engineer (O & M)
Jaipur Discom, Rajgarh

REPORT

1.Service (Overhead/Underground) disconnected

2. Service disconnected from the pole/fuses.

3. Meter removed/not removed.

Particulars of Meter (s)

Meter No. 1	Make 2	Constant 3	Amps. 4	Volts 5	Phase 6	Fuse Size 7	Reading 8
661376			16-60	11000	3		KWH 368473.6

KVAH 432597.5

KVA 31.56

Entered in Meter Movement Card

Entered in Connected Load Register on page item

Sealed vide item No. Dated 9/11/2023. of the Meter Sealing Record.

Disconnection made by JEN_TALAB

JEN

Date Time

Reasons for disconnection dc

Consumer's Signature

Signature

Designation

Noted by,

(1.) Meter Reader F026

(2.) Ledger Clerk